

फैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा (किस्त 17)

Yatim Kise Kahte Hain ? (Hindi)



यतीम किसे कहते हैं ?

(मअ् दीगर दिलचस्प सुवाल जवाब)



पेशाक्षरा

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

ये ह रिसाला शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी, हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल **मुहम्मद इल्यास अत्तार** कादिरी र-ज़वी الْجَانِبُ الْمُكَثُرُ के म-दनी मुज़ा-करे नम्बर 7 के मवाद समेत अल मदीनतुल इल्मिया के शो'बे फैज़ाने “म-दनी मुज़ा-करा” ने नई तरतीब और कसीर नए मवाद के साथ तय्यार किया है।



الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ يسُورُ اللّٰهَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ

किताब पढ़ने की दुआ

अज़ : शैखे त्रीकृत, अमीरे अहले सुनत, बानिये दा'वते इस्लामी, हजरते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरी र-ज़वी ذَمَّةٍ بِرَبِّكُمْ عَالِيهِ إِنَّ شَاءَ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ

दीनी किताब या इस्लामी सबक पढ़ने से पहले जैल में दी हुई दुआ पढ़ लीजिये إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। दुआ ये है :

اللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَلَذْنَرْ
عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَلِ وَالْأَكْرَامِ

तरजमा : ऐ अल्लाह ! हम पर इल्मो हिक्मत के दरवाजे खोल दे और हम पर अपनी रहमत नाजिल फ़रमा ! ऐ अ-ज़मत और बुजुर्गी वाले ।

(المُسْتَطْرِفُ ج ٤، دار الفکر بيروت)

नोट : अब्बल आखिर एक एक बार दुरुद शरीफ पढ़ लीजिये ।

तालिबे गमे मदीना
व बकीअ
व मपिकरत



13 शब्बातुल मुर्करम 1428 हि.

क़ियामत के रोज़ हसरत

फ़रमाने मुस्तफ़ा : صَلَّى اللّٰهُ عَلَى عَبْدِهِ وَسَلَّمَ : सब से ज़ियादा हसरत क़ियामत के दिन उस को होगी जिसे दुन्या में इल्म हासिल करने का मौक़अ मिला मगर उस ने हासिल न किया और उस शाख़ को होगी जिस ने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उस से सुन कर नफ़अ उठाया लेकिन इस ने न उठाया (या'नी उस इल्म पर अमल न किया) ।

किताब के ख़रीदार मु-तवज्जेह हों

किताब की तबाअत में नुमायां ख़राबी हो या सफ़हात कम हों या बाइंडिंग में आगे पीछे हो गए हों तो मक-त-बतुल मदीना से रुजूअ फ़रमाइये ।

मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

येह रिसाला “यतीम किसे कहते हैं ?”

दा'वते इस्लामी की मजलिस “अल मदीनतुल इल्मिया (शो'बए फैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा)” ने उर्दू ज़बान में मुरत्तब किया है। मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी) ने इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त् में तरतीब दे कर पेश किया है और मक-त-बतुल मदीना से शाएअ़ करवाया है।

इस रिसाले को हिन्दी रस्मुल ख़त् में तरतीब देते हुए दर्जे जैल मुआ-मलात को पेशे नज़र रखने की कोशिश की गई है :

(1) क़रीबुस्सौत (या'नी मिलती जुलती आवाज़ वाले) हुरूफ़ के आपसी इम्तियाज़ (या'नी फ़र्क़) को वाज़ेह करने के लिये हिन्दी के चन्द मञ्जूस हुरूफ़ के नीचे डोट (.) लगाने का खुसूसी एहतिमाम किया गया है।

मा'लूमात के लिये “हुरूफ़ की पहचान” नामी चार्ट मुला-ह़ज़ा फ़रमाइये।

(2) जहां जहां तलफ़ुज़ के बिगड़ने का अन्देशा था वहां तलफ़ुज़ की दुरुस्त अदाएँगी के लिये जुम्लों में डेश (-) और साकिन ह़र्फ़ के नीचे खोड़ा () लगाने का एहतिमाम किया गया है।

(3) उर्दू में लफ़्ज़ के बीच में जहां ع साकिन आता है उस की जगह हिन्दी में सिंगल इन्वर्टेड कोमा (') इस्ति'माल किया गया है। म-सलन مل (दा'वत, इस्ति'माल वगैरा)।

इस रिसाले में अगर किसी जगह कमी बेशी या गु-लती पाएं तो मजलिसे तराजिम को (ब ज़रीअ़े मक्तूब, E-mail या SMS) मुत्तलअ़ फ़रमा कर सवाब कमाइये।

हरूफ की पहचान

ਫ = ਫ	ਪ = ਪ	ਭ = ਭ	ਬ = ਬ	ਅ = ਅ
ਸ = ਸ	ਠ = ਠ	ਟ = ਟ	ਥ = ਥ	ਤ = ਤ
ਹ = ਹ	ਛ = ਛ	ਚ = ਚ	ਝ = ਝ	ਜ = ਜ
ਫ = ਫ	ਡ = ਡ	ਧ = ਡ	ਦ = ਡ	ਖ = ਖ
ਯ = ਯ	ਵ = ਵ	ਵ = ਵ	ਰ = ਰ	ਯ = ਯ
ਯ = ਯ	ਸ = ਸ	ਸ਼ = ਸ਼	ਸ = ਸ	ਯ = ਯ
ਫ = ਫ	ਗ = ਗ	ਅ = ਅ	ਯ = ਯ	ਤ = ਤ
ਘ = ਘ	ਗ = ਗ	ਖ = ਖ	ਕ = ਕ	ਕ = ਕ
ਹ = ਹ	ਵ = ਵ	ਨ = ਨ	ਮ = ਮ	ਲ = ਲ
ਈ = ਈ	ਇ = ਇ	ਐ = ਐ	ए = ਏ	ਯ = ਯ

राबिता : मजलिसे तराजिम (दा'वते इस्लामी)

मक-त-बतुल मदीना, सिलेक्टेड हाउस, अलिफ़ की मस्जिद के सामने, तीन दरवाज़ा, अहमदआबाद-1, ગુજરાત

MO. 9374031409 | E-mail :translationmaktabhind@dawateislami.net

पेशकज्ञ : मञ्जलिसे अल मदीनतल इलिमद्या (हाँवो दम्भासी)

पहले इसे पढ़ लीजिये !

تَبَلِّيغٌ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ
तब्लीग़ लिहाज़ लिहाज़ लिहाज़
कुरआनो सुन्नत की अ़ालमगीर गैर सियासी तहरीक
दा'वते इस्लामी के बानी, शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना
अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अन्तार क़ादिरी र-ज़वी ज़ियार्द دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ ने अपने
मख़्बूस अन्दाज़ में सुन्नतों भेरे बयानात, इल्मो हिक्मत से मा'मूर म-दनी मुज़ा-करात
और अपने तरबियत याफ़ा मुबल्लिग़ीन के ज़रीए थोड़े ही अर्से में लाखों मुसल्मानों के
दिलों में म-दनी इन्क़िलाब बरपा कर दिया है, आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ की सोहबत से
फ़ाएदा उठाते हुए कसीर इस्लामी भाई वक़्तन फ़ वक़्तन मुख़्लिफ़ मकामात पर होने
वाले म-दनी मुज़ा-करात में मुख़्लिफ़ किस्म के मौज़ूआत म-सलन अ़काइदो आ'माल,
फ़ज़ाइलो मनाक़िब, शरीअत व तरीक़त, तारीख़ व सीरत, साइन्स व तिब, अख़्लाक़ियात
व इस्लामी मा'लूमात, रोज़ मर्मा मुआ-मलात और दीगर बहुत से मौज़ूआत से
دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَّةُ मु-तअ़लिक़ सुवालात करते हैं और शैख़े तरीक़त अमीरे अहले सुन्नत
उन्हें हिक्मत आमोज़ और इश्क़े रसूल में ढूबे हुए जवाबात से नवाज़ते हैं।

अमीरे अहले सुन्नत के इन अ़त़ा कर्दा दिलचस्प और इल्मो
हिक्मत से लबरेज़ म-दनी फूलों की खुशबूओं से दुन्या भर के मुसल्मानों को महकाने
के मुकद्दस ज़ज्बे के तहत अल मदीनतुल इल्मिय्या का शो'बा “फैजाने म-दनी
मुज़ा-करा” इन म-दनी मुज़ा-करात को काफ़ी तरामीम व इज़ाफ़ों के साथ “फैजाने
म-दनी मुज़ा-करा” के नाम से पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। इन
तहरीरी गुलदस्तों का मुता-लआ करने से إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ अ़काइदो आ'माल और ज़ाहिरो
बातिन की इस्लाह, महब्बते इलाही व इश्क़े रसूल की ला ज़वाल दौलत के साथ साथ
मज़ीद हुसूले इल्मे दीन का ज़ज्बा भी बेदार होगा।

इस रिसाले में जो भी ख़ूबियां हैं यक़ीनन रब्बे रहीम عَزَّوَجَلَّ और उस के महबूबे
करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ وَسَلَّمَ की अ़त़ाओं, औलियाए किराम دَحْمَهُمُ اللَّهُ اَللَّهُ اَكْبَرُ की इनायतों
और अमीरे अहले सुन्नत की शफ़क़तों और पुर खुलूस दुआओं का
नतीजा हैं और ख़ामियां हों तो उस में हमारी गैर इरादी कोताही का दख़ल है।

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिय्या
(शो'बए फैजाने म-दनी मुज़ा-करा)

6 - मज़ानुल मुवारक 1437 सि.हि। 12 जून 2016 ई.

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

यतीम किसे कहते हैं ?

(मअः दीगर दिलचस्प सुवाल जवाब)

शैतान लाख सुस्ती दिलाए येह रिसाला (28 सफ़हात)
मुकम्मल पढ़ लीजिये । **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُرِيَّلْ** मा'लूमात का
अनमोल ख़ज़ाना हाथ आएगा ।

दुर्ख शरीफ़ की फ़ज़ीलत

शहन्शाहे खुश ख़िसाल, पैकरे हुम्नो जमाल
का फ़रमाने आलीशान है : जिसे येह पसन्द हो कि
अल्लाह की बारगाह में पेश होते वक़्त अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** उस से राज़ी हो
उसे चाहिये कि मुझ पर कसरत से दुर्ख शरीफ़ पढ़े ।¹

क़लील रोज़ी पे दो क़नाअत फुज्जूल गोई से दे दो नफ़त
दुर्ख पढ़ता रहूँ ब कसरत नबिये रहमत शफ़ीए उम्मत
صَلُّوا عَلٰى الْحَبِيبِ ! صَلُّوا عَلٰى مُحَمَّدٍ

यतीम किसे कहते हैं ?

सुवाल : यतीम किसे कहते हैं ? नीज़ कितनी उम्र तक बच्चा या
बच्ची यतीम रहते हैं ?

जवाब : वोह ना बालिग बच्चा या बच्ची जिस का बाप फ़ौत हो गया
हो वोह यतीम है ।² बच्चा या बच्ची उस वक़्त तक यतीम

..... فِرْدُوسُ الْأَخْبَارِ، بَابُ الْمَيْمَ، ٢، ٢٨٣، حَدِيثٌ ٢٠٨٣:

..... فِرْدُوسُ الْأَخْبَارِ، كِتَابُ الْوَصَايَا، بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ وَغَيْرِهِمْ، ١٠، ٢١٦ / ١٠

रहते हैं जब तक बालिग् न हों, जूँ ही बालिग् हुए यतीम न रहे जैसा कि मुफ़स्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान ﷺ ^{عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ} फ़रमाते हैं : बालिग् हो कर बच्चा यतीम नहीं रहता । इन्सान का वोह बच्चा यतीम है जिस का बाप फ़ौत हो गया हो, जानवर का वोह बच्चा यतीम है जिस की माँ मर जाए, मोती वोह यतीम है जो सीप में अकेला हो उसे दुर्देश यतीम कहते हैं बड़ा क़ीमती होता है ।¹

यतीम के सर पर हाथ फेरने की फ़ज़ीलत

सुवाल : यतीम के साथ हुस्ने सुलूक करने और इस के सर पर हाथ फेरने की भी कोई फ़ज़ीलत है ?

जवाब : यतीम के साथ हुस्ने सुलूक करने और इस के सर पर हाथ फेरने की हड़ीसे पाक में बड़ी फ़ज़ीलत आई है चुनान्वे हुस्ने अख़्लाकُ के पैकर, नबियों के ताजवर كَلِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने रूह परवर है : मुसल्मानों के घरों में बेहतरीन घर वोह है जिस में यतीम के साथ अच्छा सुलूक किया जाता हो और मुसल्मानों के घरों में बद तरीन घर वोह है जिस में यतीम के साथ बुरा बरताव किया जाता है ² एक और हड़ीसे पाक में इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स यतीम के सर पर महूज़ عَزِيزٌ جَلِيلٌ अल्लाह की रिज़ा के लिये हाथ फेरे तो जितने बालों पर उस का हाथ गुज़रा हर बाल के बदले में उस के लिये नेकियां हैं और जो शख़्स

لِي

①..... नूरुल इरफ़ान, पारह 4, अन्निसाअ, तहूतल आयह : 2

②..... ابن ماجہ، کتاب الادب، باب حق اليتيم، ۱۹۳/۲، حدیث: ۳۶۷۹

यतीम लड़की या यतीम लड़के पर एहसान करे मैं और वोह जनत में (दो उंगियों को मिला कर फ़रमाया कि) इस तरह होंगे ।¹ इस हड़ीसे पाक के तहूत मुफ़स्सरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान ﷺ की रियायत हैः जो शख़्स अपने अ़ज़ीज़ या अजनबी यतीम के सर पर हाथ फेरे महब्बत व शफ़्कत का येह महब्बत सिर्फ़ अल्लाह व रसूल ﷺ की रिया के लिये हो तो हर बाल के इवज़ु उसे नेकी मिलेगी । येह सवाब तो ख़ाली हाथ फेरने का है जो इस पर माल ख़र्च करे, उस की ख़िदमत करे, इसे ता'लीम व तरबियत दे सोच लो कि इस का सवाब कितना होगा ।² यतीम के सर पर हाथ फेरने से नेकियों के हुसूल के साथ साथ दिल की सख़्ती दूर होती और हाजतें भी पूरी होती हैं जैसा कि हज़रते सच्चियदुना अबू दरद رضي الله تعالى عنه سे रिवायत है कि एक शख़्स ने नबिय्ये करीम ﷺ की बारगाहे अ़ज़ीम में हाज़िर हो कर अपने दिल की सख़्ती की शिकायत की, तो इशाद फ़रमाया : क्या तू चाहता है कि तेरा दिल नर्म हो जाए और तेरी हाजतें पूरी हों ? तो यतीम पर रहूम किया कर और उस के सर पर हाथ फेरा कर और अपने खाने में से उस को खिलाया कर ऐसा करने से तेरा दिल नर्म होगा और हाजतें पूरी होंगी ।³

دینہ

¹ مُسْنَدِ إِمَامِ أَحْمَدَ، مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ، حَدِيثُ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهْلِيِّ، ٢٧٢/٨، حَدِيثٌ: ٢٢٢١٥

² میرआتُول مانا جیہ، جि. 6، س. 562

³ مجمع الزوائد، کتاب البر والصلة، باب ماجاء في الاتمام والارامل والمساكين، ٢٩٣/٨، حديث: ١٣٥٠٩

यतीम के सर पर हाथ फेरने का तरीका

सुवाल : यतीम के सर पर हाथ फेरने का क्या तरीका है ?

जवाब : जब भी किसी यतीम बच्चे के सर पर हाथ फेरना हो तो सर के पीछे से हाथ फेरते हुए आगे की तरफ़ ले आइये जैसा कि हड्डीसे पाक में है : लड़का यतीम हो तो उस के सर पर हाथ फेरने में आगे को लाए और जब इस का बाप हो (या'नी बच्चा यतीम न हो) तो हाथ फेरने में गरदन की तरफ़ ले जाए ।¹

यतीम की दी हुई चीज़ खा पी नहीं सकते

सुवाल : यतीम की हिबा की हुई चीज़ खा पी सकते हैं या नहीं ?

जवाब : यतीम किसी को अपनी कोई चीज़ हिबा नहीं कर सकता क्यूं कि “हिबा सही होने की शराइत में से एक शर्त हिबा करने वाले का बालिग होना भी है ।”² जब कि यतीम ना बालिग होता है । इसी तरह कोई दूसरा भी ना बालिग का माल हिबा नहीं कर सकता जैसा कि सदरुश्शरीअःह, बदरुत्तरीक़ह मुफ्ती मुहम्मद अमजद अःली आ'ज़मी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيِّ फ़रमाते हैं : बाप को ये ह जाइज़ नहीं कि ना बालिग लड़के का माल दूसरे लोगों को हिबा कर दे अगर्चे मुआ-वज़ा ले कर हिबा करे कि ये ह भी ना जाइज़ है और खुद बच्चा भी अपना माल हिबा करना चाहे तो नहीं कर सकता या'नी उस ने हिबा कर दिया और मौहूब लह को दे दिया उस से वापस लिया जाएगा कि

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

..... ١ مُعْجِزُ أُوستَطَ، مِنْ أَسْمَاءِ أَحْمَدِ، ١/٣٥١، حَدِيثٌ: ١٢٧٩

②..... बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 14, स. 69 मुलख्खसन

(ना बालिग् का) हिबा जाइज़ ही नहीं। येही हुक्म स-दके का है कि ना बालिग् अपना माल न खुद स-दका कर सकता है न उस का बाप। येह बात निहायत याद रखने की है अक्सर लोग ना बालिग् से चीज़ ले कर इस्त'माल कर लेते हैं समझते हैं कि उस ने दे दी हालां कि येह देना न देने के हुक्म में है बा'ज़ लोग दूसरे के बच्चे से (कूंएं से) पानी भरवा कर पीते या वुज़ू करते हैं या दूसरी तरह इस्त'माल करते हैं येह ना जाइज़ है कि उस पानी का वोह बच्चा मालिक हो जाता है और हिबा नहीं कर सकता फिर दूसरे को उस का इस्त'माल क्यूंकर जाइज़ होगा। अगर बालिदैन बच्चे को इस लिये चीज़ दें कि येह लोगों को हिबा कर दे या फ़कीरों को स-दका कर दे ताकि देने और स-दका करने की आदत हो और माल व दुन्या की महब्बत कम हो तो येह हिबा व स-दका जाइज़ है कि यहां ना बालिग् के माल का हिबा व स-दका नहीं बल्कि बाप का माल है और बच्चा देने के लिये वकील है जिस तरह उम्रमन दरवाज़ों पर साइल जब सुवाल करते हैं तो बच्चों ही से भीक दिलवाते हैं। **(1)-(2)**

यतीम के माल का गैर मोहतात इस्त'माल

सुवाल : जब घर का कोई फ़र्द फ़ौत हो जाता है तो बा'ज़ अवक़ात वोह

1..... बहारे शरीअत, जि. 3, हिस्सा : 14, स. 81

2..... ना बालिग् से पानी भरवाने और पानी शरअून इस की मिल्क होने या न होने की तफ़सीलात जानने के लिये दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक-त-बतुल मदीना के मत्खूआ रिसाले “पानी के बारे में अहम मा'लूमात” के सफ़हा 20 ता 25 का मुता-लआ कीजिये। (शो'बए फैजाने म-दर्दी मुज़ा-करा)

यतीम बच्चे और माल छोड़ जाता है और उस का तर्का भी तक्सीम नहीं किया जाता ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ?

जवाब : इल्मे दीन से दूरी और जहालत के सबब उम्रमन खानदानों में तर्का तक्सीम नहीं किया जाता अक्सर वु-रसा में यतीम बच्चे बच्चियां भी शामिल होते हैं और लोग बिला डिजक उन यतीमों का माल खाते पीते और हर तरह से इस्त'माल करते हैं हालां कि येह सब ना जाइज़ है और इस की तरफ़ किसी की तबज्जोह ही नहीं होती । याद रखिये ! मय्यित के वु-रसा में से अगर कोई यतीम हो तो जब तक तर्का तक्सीम कर के यतीम का हिस्सा अलग न किया जाए तब तक उस में से मय्यित के ईसाले सवाब के लिये स-दक़ा व खैरात वगैरा भी नहीं कर सकते । पारह 4 सू-रतुन्निसाअ की आयत नम्बर 10 में खुदाए रहमान **عَزَّوْجَلٌ** का फ़रमाने आलीशान है :

إِنَّ الْيَتَيْنَ يَا كُلُونَ أَمْوَالَ
الْيَسِّيْنِ ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصُلُونَ
① سَعِيرًا

तर-ज-मए कन्ज्ञुल ईमान :
वोह जो यतीमों का माल नाहक
खाते हैं वोह तो अपने पेट में निरी
आग भरते हैं और कोई दाम जाता
है कि भड़कते धड़े में जाएंगे ।

इस आयते मुबा-रका के तहत मुफ़स्सरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ** फ़रमाते हैं : “जब यतीम का माल अपने माल से मिला कर खाना (मु-तअ़हद सूरतों में) हराम हुवा तो अला-हदा तौर पर खाना भी ज़रूर हराम है । इस से मा’लूम हुवा कि यतीम को हिबा

दे सकते हैं मगर इस का हिबा ले नहीं सकते । ये ही मा'लूम हुवा कि वारिसों में जिस के यतीम भी हों उस के तरें से नियाज़, फ़ातिहा ख़ेरात करना हराम है और इस खाने का इस्त'माल हराम । अब्बलन माल तक्सीम करो फिर बालिग् वारिस अपने माल से ख़ेरात करे ।” मज़ीद फ़रमाते हैं : “जब मध्यित के यतीम या ग़ाइब वारिस हों तो माले मुश्तरक में से इस की फ़ातिहा तीजा वगैरा हराम है कि इस में यतीम का हक् शामिल है बल्कि पहले तक्सीम करो फिर कोई बालिग् वारिस अपने हिस्से से येह सारे काम करे वरना जो भी वोह खाएगा दोज़ख़ की आग खाएगा । क़ियामत में उस के मुंह से धूआं निकलेगा । हृदीस शरीफ़ में है कि यतीम का माल जुल्मन खाने वाले क़ियामत में इस तरह उठेंगे कि उन के मुंह, कान और नाक से बल्कि उन की क़ब्रों से धूआं उठता होगा जिस से वोह पहचाने जाएंगे कि येह यतीमों का माल नाहक् खाने वाले हैं ।”⁽¹⁾

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! आज कल हालात इन्तिहाई ना गुफ्ता बिह हैं यतीमों का माल खाने से बचने का ज़ेहन ही नहीं होता । घर में किसी के फ़ौत हो जाने पर अगर सारे वु-रसा बालिग् हों वहां तो एक दूसरे से हुकूक मुआफ़ भी करवाए जा सकते हैं और अगर एक भी ना बालिग् बच्चा वारिसों में शामिल हो तो फिर जो लोग शरीअत के पाबन्द हैं वोह सख्त इन्तिहान में पड़ जाते हैं क्यूं कि फ़ी ज़माना

دینہ

١ ٢٠١٠/٢٢٣/٢٠١٠، النساء، تحت الآية: ٣٩، منشور، بـ٣،

खानदान वालों का ज़ेहन बनाना हर एक के बस का काम भी नहीं है। अगर कहीं सरा-हतन या दला-लतन मा'लूम हो कि मय्यित के घर वालों ने अभी तक तर्का तक्सीम नहीं किया और मय्यित के बु-रसा में ना बालिग् भी हैं तो वहां खाने पीने बगैरा से इज्जिनाब किया जाए।⁽¹⁾

यतीम का माल खाने से बचने का जज्बा

सुवाल : यतीम का माल खाने से बचने के हवाले से एक दो वाक़िअ़ात बयान फ़रमा दीजिये ताकि यतीम का माल खाने से बचने का जज्बा पैदा हो।

जवाब : यतीम का माल नाहक् खाने की कुरआनो हडीस में जो वईदात हैं उन पर गौर कर के अपने आप को डराया जाए तो ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ उस से बचने में काम्याबी हासिल हो सकती है। बहर हाल एक मोहतात मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी का वाक़िअ़ा पेश किया जाता है ﴿إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ﴾ आप को इस में एहतियात के काफ़ी मुश्कबार म-दनी फूल चुनने को मिलेंगे चुनान्वे एक मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी अपने सफ़र में बा'ज़ अवक़ात एक ऐसे घर में कियाम करते थे जहां तीन सगे भाई इकट्ठे रहते थे। सब से बड़ा भाई मु-तवस्सितुल हाल ताजिर था। उस की वफ़ात हो गई, उन मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी को

بِيَه

①..... मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! अगर किसी के घर में फौतगी हो जाए और मय्यित तर्का छोड़े तो जल्द अज़ जल्द दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत से शर-ई रहनुमाइ ले कर उस तर्के को बु-रसा में तक्सीम कर लिया जाए इसी में बचत और आफ़ियत है।

(शो'बए फैजाने म-दनी मुज़ा-करा)

फिर सफ़र में उसी घर में कियाम करना पड़ा और दौराने गुफ्त-गू येह बात सामने आई कि मर्हूम के दो ना बालिग बच्चे भी हैं और तर्का भी तक्सीम नहीं हुवा । घर के सारे अप्राद मिलजुल कर अब भी पहले की तरह खाते पीते और घर की तमाम अश्या में तसरुफ़ करते हैं और उन मुबल्लिग की भी इसी माल से मेहमान नवाज़ी की जाएगी । वोह घबरा गए और उन्होंने मर्हूम के उस भाई को जो अब उन दो यतीम बच्चों का सर परस्त था बताया कि मैं आप के यहां कियाम कर सकता हूं और न ही खा पी सकता हूं और न ही आप की गाड़ी पर सुवार हो सकता हूं क्यूं कि आप के घर की हर चीज़ में अब इन दो यतीम बच्चों का भी हिस्सा शामिल हो गया है और मैं इन यतीम बच्चों की चीज़ों में कैसे तसरुफ़ करूं ? बहर हाल वोह मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी उस घर से दूसरी जगह चले गए और उन्होंने अपने दिल को मुत्मइन करने के लिये दोनों यतीम बच्चों के लिये मुनासिब रक़म ब इसरार पेश की और येह भी नियत शामिल की कि मेरी वज्ह से जो जो इस्लामी भाई मुलाक़ात वगैरा के लिये आए और यहां खाया पिया उन की भी ख़लासी हो जाए उन मुबल्लिगे दा'वते इस्लामी के समझाने पर अब उन घर वालों ने तर्के की हर हर शै का हिसाब कर के ना बालिग बच्चों का हिस्सा जुदा महफूज़ कर लिया है ।⁽¹⁾

لِيَهُ

1..... मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! वोह मोहतात मुबल्लिग शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अ़त्तार क़ादिरी र-ज़वी ज़ियाई دامت برکاتہم العالیہ थे । (शो'बए फैजाने म-दनी मुज़ा-करा)

(शैखे तरीक़त्, अमीरे अहले सुन्नत ने एक म-दीनी मुज़ा-करे में अपना वाकि़आ यूं बयान फ़रमाया है :) मेरे बड़े भाई जब फ़ौत हुए तो उस वक्त तक बालिदे मर्हूम **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْفَتِيرُ** का तर्का तक्सीम नहीं हुवा था । इन के छोड़े हुए माल ही में कारोबार होता रहा । बड़े भाईजान का इन्तिक़ाल होने पर मैं सख्त आज्माइश में आ गया क्यूं कि इन के पांच यतीम बच्चे भी थे और इन यतीम बच्चों की माँ भी । अब भाई की मिल्क्यत वाली हर चीज़ में इन सब का हक़ शामिल हो गया । **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** मैं ने शरीअत के मुताबिक़ तर्का तक्सीम किया और इन को ज़ाइद पेश किया ताकि मेरी तरफ़ उन का कोई हक़ रह न जाए मगर फिर भी खौफ़ आता था कि कहीं उन यतीमों के माल में मुझ से हक़ त-लफ़ी न हो गई हो । **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** अब मेरे पांचों भतीजे बालिग़ हो चुके हैं और मैं ने अपने पांचों भतीजों और इन की अम्मीजान से मुआफ़ी हासिल कर ली है । **اللَّهُ أَكْبَرُ** उन्हें दराजिये उम्र बिलखैर अतः फ़रमाए और हर तरह से अपनी हिफ़ज़ो अमान में रखे ।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَكْمَمِينَ حَلَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ

यतीम मुआफ़ नहीं कर सकता

सुवाल : अगर यतीम बच्चे ब खुशी मुआफ़ कर दें तो क्या मुआफ़ी हो सकती है ? नीज़ मसाइल मा'लूम न होने के सबब जिस ने ना बालिग़ या यतीम का माल खाया और येह भी मा'लूम नहीं कि कितना खाया और अब वोह बच्चे बालिग़ हो चुके हैं उसे क्या करना चाहिये ?

जवाब : ना बालिग् बच्चे मुआफ़ नहीं कर सकते, अगर वोह मुआफ़ कर दें तब भी मुआफ़ नहीं होगा लिहाज़ा मसाइल मा'लूम न होने के सबब जिस ने ना बालिग् या यतीम का माल खाया तो वोह ज़ने ग़ालिब का ए'तिबार करते हुए इतना माल उन को लौटाए और साथ में उन से मुआफ़ी भी मांगे। हां बालिग् होने के बा'द वोह “साबिक़ा ना बालिग् या यतीम” अपनी खुशी से चाहें तो मुआफ़ भी कर सकते हैं लेकिन मुआफ़ी मांगने की बजाए उन का माल ही लौटाना चाहिये फिर अगर वोह माल लेने की बजाए मुआफ़ कर दें तो उन की मरज़ी है चुनान्चे मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमाम अहले सुन्नत, मुज़द्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ ف़रमाते हैं : यतीमों का हक़ किसी के मुआफ़ किये मुआफ़ नहीं हो सकता यहां तक कि खुद यतीम का दादा या मां किसी ना बालिग् के मां बाप इस का हक़ किसी को मुआफ़ कर दें हरगिज़ मुआफ़ न होगा (فَإِنَّ الْوِلَايَةَ لِلَّهِ لَمْ يَرْكَبْ لَهُ الْمُضْرِرُ क्यूं कि विलायत व सर परस्ती निगरानी के लिये हासिल होती है नुक़सान देने के लिये नहीं ।) बल्कि खुद यतीम व ना बालिग् भी मुआफ़ नहीं कर सकते न उन की मुआफ़ी का कुछ ए'तिबार है (لِلْحِجْرِ الشَّامِ عَمَّا هُوَ ضَرُرٌ क्यूं कि नुक़सान देह मुआ-मले में तसरुफ़ करने से उन्हें मुकम्मल रोक दिया गया है ।) महूज़ यतीमों का हक़ ज़रूर देना पड़ेगा और जो निकलवा सकता है उसे चाहिये कि ज़रूर दिला दे, हां यतीम बालिग् होने के बा'द मुआफ़ करे तो उस वक्त मुआफ़ हो सकेगा ।⁽¹⁾

لِيَه

① फ़तावा र-ज़विय्या, जि. 6, स. 496

लड़के और लड़की के बालिग होने की उम्र

सवाल : लड़का और लड़की कब बालिग होते हैं ?

जवाब : हिजरी सिन के हिसाब से **12** से **15** साल की उम्र के दौरान जब भी लड़के को इन्ज़ाल हो या सोते में एहतिलाम हो या उस के जिमाअू से औरत हामिला हो गई हो तो उसी वक्त बालिग हो गया और उस पर गुस्सल फर्ज़ हो गया। अगर ऐसा न हुवा तो हिजरी सिन के मुताबिक **15** बरस का होते ही बालिग हो जाएगा। इसी तरह हिजरी सिन के हिसाब से **9** से **15** साल की उम्र के दौरान लड़की को जब भी एहतिलाम हो या हैज़ आ जाए या हम्ल ठहर जाए तो बालिग हो गई वरना हिजरी सिन के मुताबिक **15** साल की होते ही बालिग है। (1)

कब्र पर बैठना हराम है

सुवाल : कब्र पर बैठना कैसा है ?

जवाब : कब्र पर बैठना ह्राम है। दा'वते इस्लामी के इशाअृती इदारे मक-त-बतुल मदीना की मत्भूआ 1250 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब, “बहारे शरीअूत” जिल्द अब्वल सफ़हा 847 पर है “कब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाख़ाना, पेशाब करना ह्राम है। कब्रिस्तान में जो नया रास्ता निकाला गया उस से गुज़रना ना जाइज़ है। ख़्वाह नया होना उसे मा'लूम हो या इस का गुमान हो।” नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक َعَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशाद फरमाया : तूम में से किसी का

٢٣

١.....اللهُ الْمُعَتَّلُ وَرَبُّ الْمُحْجَاجِ، كِتَابُ الْحَجَرِ، فَصَلَّى: بِلُو٤ الْغَلَامِ بِالْأَحْلَامِ، ٢٥٩-٢٦٠ مُلَخَّصًا

अंगरों पर बैठना और उन का उस के कपड़े जला कर जिल्द तक पहुंच जाना उस के लिये इस से बेहतर है कि किसी क़ब्र पर बैठे ।⁽¹⁾ हज़रते सव्विदुना उमारा बिन हज़م رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ف़रमाते हैं कि رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने मुझे एक क़ब्र के ऊपर बैठे देखा तो इशाद फ़रमाया : ऐ क़ब्र (के ऊपर बैठने) वाले ! नीचे उतर जा, न तू क़ब्र वाले को ईज़ा दे न वोह तुझे ईज़ा दे ।⁽²⁾

मुसल्मानों की क़ब्रों को रोंदना जाइज़ नहीं

सुवाल : क़ब्रिस्तान में जा बजा क़ब्रों हों तो क्या अपने अइज़्ज़ा व अक़िरबा को ईसाले सवाब करने के लिये उन की कुबूर तक जा सकते हैं ?

जवाब : ईसाले सवाब करने के लिये अपने अ़ज़ीज़ो अक़ारिब की कुबूर पर जा सकते हैं लेकिन वहां तक पहुंचने के लिये दूसरे मुसल्मानों की क़ब्रों को रोंदना जाइज़ नहीं । हदी-क़तुन्नदिय्यह में है : पैर की आफ़तों में से क़ब्रों पर चलना भी है ।⁽³⁾ अगर दूसरी क़ब्रों पर पाउं रखे बिगैर अपने अइज़्ज़ा व अक़िरबा की क़ब्रों तक जाना मुम्किन न हो तो दूर ही से फ़ातिह़ा पढ़ लीजिये क्यूं कि क़ब्रों पर जाना मुस्तहब काम है और मुसल्मान की क़ब्र पर पाउं रखना हराम, मुस्तहब काम के लिये हराम

دینہ

1 مُسْلِم، كِتَابُ الْجَنَائِزِ، النَّبِيُّ عَنِ الْمَلْوُسِ عَلَى الْقِبْرِ...الخ، ص ٣٨٣، حديث: ٩٧١.

2 تَجْمُعُ الرَّوَايَاتِ، كِتَابُ الْبَيْانِ عَلَى الْقِبْرِ...الخ، حديث: ٣٣٢١، ١٩١/٢.

3 حَدِيقَةُ دِيَنِهِ، ٥٠٣/٢.

काम की शरीअत में इजाज़त नहीं। मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुज़दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن फ़रमाते हैं : इस का लिहाज़ लाज़िम है कि जिस क़ब्र के पास बिल खुसूस जाना चाहता है उस तक (ऐसा) क़दीम (या'नी पुराना) रास्ता हो (जो कि क़ब्रें मिटा कर न बनाया गया हो), अगर क़ब्रों पर से हो कर जाना पड़े तो इजाज़त नहीं, सरे राह दूर खड़े हो कर एक क़ब्र की तरफ़ मु-तवज्जेह हो कर ईसाले सवाब कर दे ।⁽¹⁾

हृदीसे पाक में है कि मुझे तलवार पर चलना मुसल्मान की क़ब्र पर चलने से ज़ियादा पसन्द है ।⁽²⁾ बहरुर्राइक़ में है : क़ब्रों की ज़ियारत और मुसल्मान मुर्दों के हक़ में दुआ करने में हरज नहीं बशर्ते कि क़ब्रें रोंदी न जाएं ।⁽³⁾ फ़त्हुल क़दीर में है : क़ब्र पर बैठना और इस को रोंदना मकरूह है तो वोह लोग जिन के रिश्तेदारों के गिर्द दूसरों की क़ब्रें हों उन का क़ब्रों को रोंदना अपने क़रीबी रिश्तेदार की क़ब्र तक पहुंचने के लिये मकरूह है ।⁽⁴⁾

मीठे मीठे इस्लामी भाइयो ! कुबूरे मुस्लिमीन का अ-दबो एहतिराम कीजिये और इन को रोंदने से बचिये बिल खुसूस

دینہ

① فُتُواوَةِ رَجُلِ الْيَقِيْنِ، جِي. 9، س. 524

② ابْنُ ماجَهُ، كَابِ الْجَنَائِزُ، بَابُ مَاجَاءِ فِي الْهَيِّ عَنِ الْمَسْئِ...الخ...، ٢٥٠-٢٢٩/٢، حَدِيثٌ: ١٥٦٧، مَلْتَقِطًا

③ تَجْزِيَرُ الرَّائِقِ، كَابِ الْجَنَائِزُ، فَصْلُ السُّلْطَانِ أَحْقَنَ بِصَلَاتِهِ، ٣٣٢/٢

④ شَنْعَ الْقَدِيرِ، كَابِ الصَّلَاةِ، بَابُ الشَّهِيدِ، ١٠٢/٢

मक्कए मुकर्मा व मदीनए मुनव्वरह رَأَدَهُمَا اللَّهُ شَرْفًا وَنَعِيْضِيْمًا जाने वाले आशिक़ाने रसूल जन्नतुल मा'ला और जन्नतुल बक़ीअ के मदफूनीन की ख़िदमत में क़ब्रिस्तान के बाहर ही से खड़े हो कर सलाम अर्ज करें और दुआ मांगें क्यूं कि अब सहाबए किराम, अहले बैते अत्हार और औलियाए किराम رَضِوانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْبَرُيْنَ के मज़ारात और आम मुस्लिमीन की कुबूर को शहीद कर दिया गया है। अगर आप अन्दर गए तो कहीं ऐसा न हो कि आप का पाठं किसी के मज़ार शरीफ पर पड़ जाए और बे अ-दबी हो जाए। अल्लाह حَوْلَ هُنَّمَنْ बे अ-दबी से बचाए।

اَمِينٌ بِجَاهِ الْيَتِيِّ الْاَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

जो है बा अदब वोह बड़ा बा नसीब और

जो है बे अदब वोह निहायत बुरा है

(वसाइले बछिंशा)

बच्चे को सुलाने के लिये अफ़्यून खिलाना

सुवाल : बच्चे को सुलाने के लिये अफ़्यून खिलाना कैसा है ?

जवाब : फ़तावा र-ज़विय्या जिल्द 24 सफ़हा 198 पर है : “अफ़्यून हराम है, (लेकिन) नजिस नहीं, (लिहाज़ा) ख़ारिजे बदन पर इस का इस्त’माल जाइज़ है। बच्चे को सुलाने या रोने से बाज़ रखने के लिये अफ़्यून देना हराम है और इस का गुनाह उस देने वाले पर है बच्चे पर नहीं।”

अफ़्यून में सत्तर बुराइयां हैं जैसा कि मुफ़स्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मिस्वाक के सत्तर फ़ाइदे हैं : जिन में से एक येह है कि उसे मरते वक़्त कलिमा नसीब होता है, येह पाईरिया से महफूज़ रखती है, गन्दा दहनी दूर करती है, दांतों व में'दे को क़वी करती है, आंखों में रोशनी देती है । और अफ़्यून में सत्तर बुराइयां हैं : जिन में से एक येह है कि उस से ख़राबिये ख़ातिमे का अन्देशा है ।⁽¹⁾

हामिला औरत को त़लाक़ देने का हुक्म

सुवाल : क्या हामिला औरत को त़लाक़ देने से त़लाक़ वाक़ेअ़ हो जाती है ?

जवाब : हम्मल में त़लाक़ न दी जाए लेकिन फिर भी अगर किसी ने अपनी हामिला बीवी को त़लाक़ दी तो त़लाक़ वाक़ेअ़ हो जाएगी । पारह 28 सू-रतुत्तलाक़ की आयत नम्बर 4 में खुदाए रहमान غُرَبَجَلٌ का फ़रमाने आलीशान है :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلْهُنَّ أَنْ
يَسْقُنَ حَمْلَهُنَّ

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और हम्मल वालियों की मीआद येह है कि वोह अपना हम्मल जन लें ।

بِينَهُ

①..... मिरआतुल मनाजीह, जि. 1, स. 275

एक और जगह इशाद होता है :

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حُسْلٍ فَأُنْفَقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَصْعَنَ حَمْلَهُنَّ
(۱:۲۸) (الطلاق)

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और अगर हम्मल वालियां हों तो उन्हें नान व नफ़क़ा दो यहां तक कि उन के बच्चा पैदा हो ।

कुरआने पाक का हामिला औरत की इदत और इस के नान नफ़के का बयान करना इस बात की दलील है कि हालते हम्मल में तलाक़ वाकेअ़ हो जाती है । याद रखिये ! हामिला औरतों की इदत ख़ज़्र हम्मल (या'नी बच्चा जनने तक) है ख़्वाह वोह इदत तलाक़ की हो या वफ़ात की । जैसे ही बच्चा पैदा हो इदत ख़त्म हो जाएगी म-सलन एक दिन में बच्चा पैदा हो गया तो एक ही दिन में इदत ख़त्म और अगर म-सलन छ⁶ माह में बच्चा पैदा हुवा तो छ⁶ माह तक इदत रहेगी ।

जहेज़ का मालिक कौन ?

सुवाल : जहेज़ मर्द या औरत में से किस की मिल्क होता है ?

जवाब : जहेज़ औरत की मिल्क होता है ।⁽¹⁾ शादी बियाह के मौक़अ़ पर लड़की को जो कुछ जहेज़ में (ज़ेवरात और दीगर सामान वगैरा) वालिदैन, अज़ीज़ो अक़ारिब और लड़के वालों की तरफ से दिया जाता है, वोह सब लड़की की मिल्कय्यत होता है क्यूं कि जहेज़ के मुआ-मले में फु-क़हा ने उर्फ़ (मुआ-शेरे में जैसा रवाज है उस) को मो'तबर जाना है ।

دینہ

① بِذِلِّ الْمُحَاجَار، كِتَابُ الطَّلاقِ، مُطَلَّبُ فِيمَا لَوْفَتِ الْيَهُ بِلَاجْهَازِ يَلِيقُ بِهِ، ۳۰۲/۵

फ़िक़्र की किताबों में अ-रबो अ-जम के बारे में येही लिखा है कि जहेज़ और शादी के वक़्त लड़की को दोनों जानिब से जो ज़ेवरात और कपड़े वगैरा दिये जाते हैं वोह लड़की ही की मिल्क्यत होते हैं लिहाज़ा उर्फ़ का ए'तिबार होगा । नीज़ त़लाक़ के बा'द भी येह तमाम ज़ेवरात वगैरा जो लड़के वालों की जानिब से लड़की को मिले हैं येह सब लड़की की मिल्क्यत होंगे । पाक व हिन्द में ऐसा ही उर्फ़ है कि शादी के वक़्त लड़की को मालिक बना कर ज़ेवरात वगैरा दे दिये जाते हैं न कि आरियतन (वापस ली जाने वाली चीज़) ! त़लाक़ के बा'द अगर किसी बिरादरी (ख़ानदान) में येह उर्फ़ हो कि लड़के वाले अपने ज़ेवरात वापस ले लेते हैं तो इस उर्फ़ का ए'तिबार न होगा । लड़की जिस चीज़ की मालिक हो चुकी है उस में बिरादरी (ख़ानदान) वाले अगर येह फ़ैसला करें कि त़लाक़ के बा'द उस से उस की मिल्क्यत सल्ब कर ली जाएगी तो येह रवाज शरीअत के ख़िलाफ़ है । हाँ ! अगर किसी बिरादरी (ख़ानदान) में येह रवाज हो कि देते वक़्त मालिक बना कर न देते हों बल्कि आरियत के तौर पर देते हों और बिरादरी (ख़ानदान) वाले इस उर्फ़ पर शाहिद हों तो इस उर्फ़ का ए'तिबार होगा और लड़की मालिक न होगी ।⁽¹⁾

यहाँ तक कि अगर बाप ने बेटी के लिये जहेज़ तय्यार किया और उसे बेटी के सिपुर्द कर दिया या'नी मालिकाना तौर पर दे दिया तो अब बाप भी वापस नहीं ले सकता जैसा कि दुर्र

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

¹..... वक़ारुल फ़तावा, जि. 3, स. 256 मुलख़्व़सन

मुख्तार में है कि किसी शख्स ने अपनी बेटी को कुछ जहेज़ दिया और वोह उस के सिपुर्द भी कर दिया तो अब उस से वापस नहीं ले सकता और न ही उस के मरने के बाद उस के वारिस वापस ले सकते हैं बल्कि वोह खास औरत की मिल्कियत है और इसी पर फ़तवा दिया जाता है बशर्ते कि उस ने येह जहेज़ हालते सिद्दह़त में बेटी के सिपुर्द किया हो (या'नी म-रजुल मौत में न दिया हो) |⁽¹⁾

शोहर ज़ौजा का जहेज़ नहीं रख सकता

सुवाल : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो क्या सारा जहेज़ शोहर रख सकता है या नहीं ?

जवाब : ज़ौजा फ़ौत हो जाए तो शोहर या कोई और उस के जहेज़ वगैरा का तन्हा मालिक या हक़दार नहीं हो सकता बल्कि वोहा सारा सामान जो औरत की ज़ाती मिल्कियत था, उस के मरने के बाद शर-ई क़ानून के मुताबिक़ वु-रसा में तक्सीम होगा जैसा कि मेरे आक़ा आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ हैं : जहेज़ हमारे बिलाद के उर्फ़े आम शाएअ़ से खास मिल्के ज़ौजा होता है जिस में शोहर का कुछ हक़ नहीं, तलाक़ हुई तो कुल लेगी और मर गई तो उसी के वु-रसा पर तक्सीम होगा |⁽²⁾

دینہ

..... ١ ٣٠٢/٣ ، باب النکاح، باب المهر،

② फ़तवा र-ज़विय्या, जि. 12, स. 203

जौजा के तर्के में शोहर का हिस्सा

सुवाल : अगर जौजा फ़ौत हो जाए तो उस के माल में से शोहर को क्या मिलेगा ?

जवाब : जौजा फ़ौत हो जाए तो उस के माल में से सब से पहले सुन्त के मुताबिक़ उस की तज्हीजो तक्फीन और तदफ़ीन का एहतिमाम किया जाए, फिर इस के बा'द उस का क़र्ज़ हो तो वोह अदा किया जाए, फिर अगर उस ने कोई जाइज़ वसिय्यत की है तो उस के माल के तीसरे हिस्से से उस की वसिय्यत को पूरा किया जाए, फिर इस के बा'द जो माल बच जाए उस में से शोहर को हिस्सा मिलने की दो सूरतें हैं अगर जौजा का बेटा बेटी या पोता पोती में से कोई न हो तो इस सूरत में शोहर को कुल माल का आधा मिलेगा और अगर जौजा का बेटा बेटी या पोता पोती में से कोई हो तो इस सूरत में शोहर को कुल माल का चौथाई हिस्सा मिलेगा चुनान्चे पारह 4 सू-रतुनिसाअ की आयत नम्बर 12 में खुदाए रहमान ﷺ का फ़रमाने आलीशान है :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُهُمْ
إِنْ لَمْ يُكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيلَةٍ يُؤْتُ صِيلَةً بِهَا
أُوْدِيْنِ ۝

तर-ज-मए कन्जुल ईमान : और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उस में से तुम्हें आधा है अगर उन की औलाद न हो फिर अगर उन की औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है जो वसिय्यत वोह कर गई और दैन निकाल कर ।

क्या कबूतर सच्चिद होते हैं ?

सुवाल : अःवाम में येह मशहूर है कि कबूतर सच्चिद हैं येह कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब : अःवाम में येह ग़्लत मशहूर है कोई भी जानवर सच्चिद नहीं होता । अलबत्ता हरम शरीफ़ के कबूतर उन कबूतरों की नस्ल में से हैं जिन्हों ने ग़ारे सौर के दरवाज़े पर घोंसला बना कर अन्डे दिये थे, चुनान्चे जब कुप़फ़ारे ना हन्जार सरकारे आ़ली वक़ार, मदीने के ताजदार صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ سَلَّمَ को ढूंड रहे थे और सरकार صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ سَلَّمَ ग़ारे सौर में तशरीफ़ ले गए तो “**अल्लाह** **غَوْجَل** ने एक दरख़त को ग़ार के दरवाज़े पर उगने का हुक्म दिया, मकड़ी को ग़ार के दरवाज़े पर जाला तनने का हुक्म दिया और दो जंगली कबूतर भेजे वोह ग़ार के दरवाज़े पर ठहर गए और घोंसला बना दिया । मुश्किल येह देख कर वापस लौट गए कि ग़ार में कोई भी नहीं, तो सरकारे आ़ली वक़ार صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ سَلَّمَ ने उन कबूतरों पर अपना दस्ते शफ़्क़त फेरा और उन्हें दुआए खैर से नवाज़ा तो हरम शरीफ़ के कबूतर उन्ही कबूतरों की नस्ल से हैं ।”⁽¹⁾

मुफ़सिस्से शहीर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ फ़रमाते हैं : उस ग़ार के दरवाज़े पर पहुंच कर बा’ज़ काफ़िर बोले कि इस के अन्दर जा के देख लो तो दूसरे बोले कि अगर इस में कोई घुसा होता तो जाला और कबूतरी के अन्डे टूट जाते एक बोला कि येह जाला तेरी

دینہ

..... ① مُسْتَدِيلُ بِزَارِ، مُسْنَدُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ، ۲۴۱ / ۱۰، حَدِيثٌ مُّلْخَصًا

पेशक्षा : मजलिसे अल मदीनतुल इत्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

पैदाइश से पहले का है हालां कि हुज्जूर (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) के अन्दर पहुंच जाने के बा'द वोह जाला मकड़ी ने तना था कबूतरी ने अन्डे दिये थे अगर रब (غَرَوْجَلْ) चाहे तो अपने महबूब (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) को मकड़ी के जाले की ज़रीए बचाए, ग़ज़ब करे तो फ़िर औन को उस के क़ल्प की दीवारें न बचा सकें। बुजुर्गने दीन (رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِين) फ़रमाते हैं कि हरम के कबूतर उसी कबूतरी की नस्ल हैं जिस ने वहां अन्डे दिये थे उन का अब तक एहतिराम है।⁽¹⁾ इमाम बूसीरी फ़रमाते हैं :

كُلُّوا الْحَمَامَ وَكُلُّوا الْعَنْكَبُوتَ عَلَى
خَيْرِ الْبَرِّيَّةِ لَمْ تَنْسُجْ وَلَمْ تَنْهِ
(قصيدة ببردة)

या'नी मुशिरकीन ने कबूतरी और मकड़ी के बारे में गुमान किया कि ये ह ख़ेरुल बरिय्या, सय्यिदुल वरा, जनाबे मुहम्मदे मुस्तफ़ा मूली ल्लाह उल्लाह उल्लीला उल्लीला उल्लीला पर (इन की हिफ़ाज़त के लिये) जाला तनने वाली और अन्डे देने वाली नहीं हैं।

कबूतर के पाँड़ सुर्ख़ होने का वाक़िआ

सुवाल : कहते हैं कि इमामे आली मक़ाम हज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) की शहादत के बा'द कबूतर ने अपने पाँड़ खूने इमाम से तर किये और करबलाए मुअल्ला से परवाज़ करता हुवा मदीनए मुनव्वरह (زَادَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا) में सरकारे मदीना (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) की बारगाह में फ़रियाद के लिये हाजिर हुवा उस वक्त से कबूतर के पाँड़ सुर्ख़ हो गए। ये ह

¹..... मिरआतुल मनाजीह, जि. 8, स. 255

बात कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब : इमामे आली मकाम हज़रते सच्चिदुना इमामे हुसैन رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

की शहादत के बा'द कबूतर का अपने पाउं खूने इमाम से तर
करने और फिर करबलाए मुअल्ला से परवाज़ करते हुए
राहते कल्बे नाशाद, महबूबे रब्बुल इबाद صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
की बारगाह में फ़रियाद के लिये हाजिर होने का वाकिअ़ा मेरी
नज़र से नहीं गुज़रा, अलबत्ता तफ़सीरे सावी में कबूतर के
पाउं सुख्ख़ होने का ईमान अपरोज़ वाकिअ़ा कुछ यूँ है :
(तूफ़ाने नूह गुज़र जाने के बा'द जब नूह عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
की कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई तो) हज़रते सच्चिदुना नूह
ने ज़मीन की ख़बर लाने के लिये किसी
को भेजने का इरादा फ़रमाया तो सब से पहले मुर्गी ने अर्ज़
की : मैं ज़मीन की ख़बर लाऊंगी । आप عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
ने उस के बाज़ूओं पर मोहर लगा कर फ़रमाया : तुझ पर मेरी
मोहर लग चुकी है कि तू हमेशा लम्बी परवाज़ नहीं कर
सकेगी और मेरी उम्मत तुझ से फ़ाएदा हासिल करेगी । फिर
आप ने कब्वे को भेजा मगर वोह एक
मुर्दार को देख कर उस पर उतर पड़ा और वापस नहीं आया ।
आप عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
ने उस पर ला'नत फ़रमा दी और उस के लिये खौफ़ में मुब्लिम रहने की दुआ कर दी चुनान्चे
कब्वे को हिल्लो हरम में कहीं भी पनाह नहीं । फिर आप
उस के लिये عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
ने कबूतर को भेजा तो वोह ज़मीन पर
नहीं उतरा बल्कि मुल्के सबा से ज़ैतून की एक पत्ती चोंच में
ले कर आ गया । आप عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ने उस से

फ़रमाया : तुम ज़मीन पर नहीं उतरे इस लिये फिर जाओ और ज़मीन की ख़बर लाओ चुनान्वे कबूतर दोबारा रवाना हुवा और मक्कए मुकर्रमा رَأَدَهَا اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا में ह-रमे का'बए मुशर्रफ़ा की ज़मीन पर उतरा और देख लिया कि पानी ज़मीने हरम से ख़त्म हो चुका है और सुख्ख़ रंग की मिट्टी ज़ाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पाड़ं सुख्ख़ मिट्टी से रंगीन हो गए और عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ के पास वापस आ गया और अर्ज़ की : या नबिष्यल्लाह ! मेरे लिये येह बात खुशी का बाइस होगी कि आप عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ मेरे गले में ख़ूब सूरत हार पहना दीजिये और मेरे पाड़ं सुख्ख़ फ़रमा दीजिये और मुझे ज़मीने हरम में रिहाइश का शरफ़ बख्श दीजिये। हज़रते सच्चिदुना नूह عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلَامُ ने कबूतर की चोंच और गरदन पर दस्ते शफ़्क़त फेरा, उसे हार पहनाया, उस के पाड़ं को सुख्ख़ी अ़ता फ़रमाई, उस के लिये और उस की औलाद के लिये ब-र-कत की दुआ मांगी।⁽¹⁾

कबूतर की ख़ास आदात व सिफ़ात

सुवाल : कबूतर की कुछ ख़ास आदात बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब : हज़रते सच्चिदुना अल्लामा कमालुद्दीन अद्दमीरी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِيِّ

फ़रमाते हैं : कबूतर की ख़ास आदात येह है कि अगर उस को एक हज़ार मील के फ़ासिले से भी छोड़ा जाए तो येह उड़ कर अपने घर पहुंच जाता है नीज़ दूर दराज़ मुल्कों से ख़बरें लाता और ले जाता है और येह भी देखने में आया है कि अगर

..... ١ تفسیر صادی، بٌ، ١٢، هود، تحت الآية: ٩١/٣، ٢٨: ملخصاً

कभी किसी का पालतू कबूतर और किसी जगह पकड़ा गया और तीन तीन साल या इस से भी ज़ियादा मुद्दत तक अपने घर से ग़ाइब रहा मगर बा वुजूद इस त़वील गैर हाज़िरी के बोह अपने घर को नहीं भूलता और अपनी सबाते अ़क्ल, कुव्वते हाफ़िज़ा और कशिशे घर पर बराबर क़ाइम रहता है और जब कभी उसे मौक़अ मिलता है उड़ कर अपने घर आ जाता है। मज़ीद फ़रमाते हैं : अगर किसी शख़्स के आ'ज़ा शल हो जाएं या लक्वा, फ़ालिज का असर हो जाए तो ऐसे शख़्س को किसी ऐसी जगह जहां कबूतर रहते हों वहां या कबूतर के क़रीब रहना मुफ़ीद है, येह कबूतर की अ़ज़ीबो ग़रीब ख़ासियत है, इस के इलावा ऐसे शख़्س के लिये उस का गोशत भी फ़ाएदे मन्द है।⁽¹⁾

कबूतर का गोशत ह़लाल है

सुवाल : कबूतर का गोशत खाना ह़लाल है या ह़राम ?

जवाब : कबूतर ह़लाल परिन्दों में से है। **فُو-**क़हाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ ने ऊंचा उड़ने वाले ह़लाल परिन्दों में कबूतर और चिड़िया का भी ज़िक्र फ़रमाया है।⁽²⁾ लिहाज़ा इस का गोशत खाने में किसी किस्म की कराहत नहीं मेरे आक़ा आ'ला ह़ज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ की बारगाह में सुवाल हुवा कि “कबूतर खाने में किसी किस्म की कराहत है ?” तो आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : कुछ नहीं।⁽³⁾

دینہ

١ حِيَاةُ الْحَيْوَانِ الْكُبِيرِ، الحمام، ١، ٣٦٥-٣٧٢ ملخصاً

٢ بِحُرُرِ الرَّائِقِ، كتاب الطهارة، باب الإيجاس، ١، ٣٠٠ ملخصاً

٣ فُتُواوَةِ رَجْوِيَّة، جि. 20، س. 321 مाखूज़न

مأخذ و مراجع

* * * *	* * * *	* * * *	قرآن پاک
مطبوع	نام کتاب	مطبوع	نام کتاب
ضياء القرآن پبلی کیشنر لاہور	مرآۃ المنایح	مکتبۃ المسیدۃ ۱۴۳۲ھ	کنز الایمان
کوئٹہ ۱۴۲۰ھ	الخوارق	پیر بھائی سعیدی مرکز الاولیاء لاہور	نور العرقان
کوئٹہ	فقیہ القدر	دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ	حاشیۃ الصادق علی الجلیلین
دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	الدر المختار	دار الفکر بیروت ۱۴۳۰ھ	الدر المنشور
دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	رسوی المختار	دار ابن حزم بیروت ۱۴۳۱ھ	صحیح مسلم
رضا فاؤنڈیشن مرکز الاولیاء لاہور	فتاویٰ رضویہ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ	سنن ابن حبیب
مکتبۃ المسیدۃ کراچی پاکستان	بہار شریعت	دار الفکر بیروت ۱۴۳۱ھ	مسند امام احمد
بزم وقار الدین کراچی	وقار الفتاوی	مکتبۃ العلوم والعلم ۱۴۲۲ھ	مسند بن زار
مطبع عامر ۱۴۲۹ھ	المحلیۃ الندیۃ	دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۰ھ	البیجم الاوسط
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۵ھ	حیات الحیوان الکبریٰ	دار الفکر بیروت ۱۴۳۸ھ	فردوس الاخبار
* * * *	* * * *	دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ	صحیح الزوائد



फ़ेहरिस्त

उन्वान	सफ़द्धा	उन्वान	सफ़द्धा
दुरुद शरीफ़ की फ़ज़ीलत	2	मुसल्मानों की क़ब्रों को	
यतीम किसे कहते हैं ?	2	रोंदना जाइज़ नहीं	14
यतीम के सर पर		बच्चे को सुलाने के लिये	
हाथ फेरने की फ़ज़ीलत	3	अप़यून खिलाना	16
यतीम के सर पर		अप़यून, भांग वगैरा को बतौरे	
हाथ फेरने का त़रीक़ा	5	दवा इस्त'माल करना कैसा ?	17
यतीम की दी हुई चीज़		हामिला औरत को त़लाक़ देने का हुक्म	17
खा पी नहीं सकते	5	जहेज़ का मालिक कौन ?	18
यतीम के माल का		शोहर ज़ौजा का जहेज़	
गैर मोहतात् इस्त'माल	6	नहीं रख सकता	20
यतीम का माल खाने से		ज़ौजा के तर्के में शोहर का हिस्सा	21
बचने का जज्बा	9	क्या कबूतर सच्चिद होते हैं ?	22
यतीम मुआफ़ नहीं कर सकता	11	कबूतर के पाउं सुर्ख़ होने का वाकिअ़	23
लड़के और लड़की के		कबूतर की ख़ास आदात व सिफ़ात	25
बालिग़ होने की उम्र	13	कबूतर का गोशत हलाल है	26
क़ब्र पर बैठना हराम है	13	मआख़िज़ो मराजेअ	28



फैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा (किस्त : 13)

Sadate Kiram Ki Azamat (Hindi)

सादाते किराम की अः-ज़मत

(मअः दीगर दिलचस्प सुवाल व जवाब)



पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मय्या (दा'वते इस्लामी)

ये हर रिसाला शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी,
हज़रते अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अःत्तार
क़ादिरी र-ज़वी लक्ष्मी^{لکھتی} के म-दनी मुज़ा-करे की रोशनी में मजलिसे अल
मदीनतुल इल्मय्या के शो'बे "फैज़ाने म-दनी मुज़ा-करा" की तरफ से नए मवाद

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ إِنْسُجَ اللّٰهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

नेक नमाज़ी बनने के लिये

हर जुम्मारात बा'द नमाजे इशा आप के यहां होने वाले दा'वते इस्लामी के हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्जिमाअू में रिजाए इलाही के लिये अच्छी अच्छी निय्यतों के साथ सारी रात शिर्कत फरमाइये ﷺ सुन्नतों की तरबियत के लिये म-दनी क़ाफ़िले में आशिक़ाने रसूल के साथ हर माह तीन दिन सफ़र और ﷺ रोज़ाना “फ़िक्रे मदीना” के ज़रीए म-दनी इन्नामात का रिसाला पुर कर के हर म-दनी माह की पहली तारीख़ अपने यहां के ज़िम्मेदार को जम्म उ करवाने का मा'मूल बना लीजिये ।

मेरा म-दनी मक्सद : “मुझे अपनी और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है । ” اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُؤْمِنٌ
अपनी इस्लाह के लिये “म-दनी इन्नामात” पर अमल और सारी दुन्या के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिये “म-दनी क़ाफ़िलों” में सफ़र करना है । اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُؤْمِنٌ



मक-त-बतुल मदीना®

दा'वते इस्लामी



फैज़ाने मदीना, त्री कोनिया बगीचे के पास, मिरजापूर, अहमदआबाद-1, गुजरात, इन्डिया
Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net